# झारखण्ड विधान सभा

## झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

# झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख–रखाव) विधेयक, 2015

**[सभा द्वारा यथापारित]**

— : विषय सूची : —


| | |
|---|---|
| 1. | संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं परिभाषाएँ। |
| 2. | कोई बात विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में। |
| 3. | पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र की घोषणा। |
| 4. | सक्षम प्राधिकार की नियुक्ति। |
| 5. | लोक न्युसेन्स का रोकथाम। |
| 6. | लोक न्युसेन्स को हटाने की सूचना। |
| 7. | लोक न्युसेन्स की वस्तु जब्त कर सरकार के हवाले कर दी जायेगी। |
| 8. | लोक न्युसेन्स को हटाने की लागत तथा खर्च। |
| 9. | लोक न्युसेन्स के सम्पति का निपटाव। |
| 10. | पर्यटन स्थलो को क्षरित करने पर जुर्माना। |
| 11. | पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र पर नशीले पदार्थ या शराब का सेवन पर जुर्माना। |
| 12. | अपील। |
| 13. | अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा। |
| 14. | नियमावली बनाने की शक्ति। |
| 15. | कठिनाई को दूर करने की शक्ति। |
| 16. | तालिका (जुर्माना का स्वरूप)। |

# झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख–रखाव) विधेयक, 2015
## [सभा द्वारा यथापारित]

पर्यटन स्थलों का, विनष्ट एवं क्षरण से रोकने के लिए, संरक्षण एवं रख–रखाव तथा उनके पर्यटकीय संभावना के परिरक्षण हेतु अधिनियम का प्रारूप।

झारखण्ड विधान सभा द्वारा भारत के गणतंत्र के छियासठवें वर्ष में अधिनियमित किया जाता है।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ –**

   (क) यह अधिनियम झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख–रखाव) अधिनियम, 2015 कहलाएगा।

   (ख) यह झारखण्ड राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र पर लागू होगा।

   (ग) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. **जबतक कोई बात विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में –**

   (क) "सक्षम प्राधिकार" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के धारा–4 के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकार।

   (ख) "सरकार" से अभिप्राय है, झारखण्ड सरकार।

   (ग) "विभाग" से अभिप्राय है पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

   (घ) "लोक न्यूसेन्स" से अभिप्राय है, ऐसा कोई कार्य अथवा चूक या कोई ऐसा कार्य, प्रक्रिया, संचालन जिसमें नदी, झील या डैम के किसी भाग में जलयान (वेसल) अथवा नाव अथवा टिंबर राफ्ट अथवा तैरने वाला कोई अन्य उपकरण का संचालन या चालन भी शामिल है, जो क्षतिकारक हो अथवा जिससे क्षति या खतरा होने की संभावना हो अथवा जो दृष्टि, गंध या श्रवण की चेतना से कष्टकारी हो या कष्टकारी होने की संभावना हो अथवा जो जीवन के लिए खतरनाक हो या स्वास्थ्य अथवा सम्पत्ति के

लिए हानिकारक हो या ऐसा कार्य जो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत् परिभाषित हो।

(ड़) ''पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र'' से अभिप्राय है ऐसा प्रक्षेत्र, स्थान, स्थल, नदी तल, समुद्र तट, जल झरना, झील, जल प्रपात आदि जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के धारा–3 के अन्तर्गत घोषित किया जाए तथा कोई भी स्थल या प्रक्षेत्र जिसे सरकार द्वारा पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र घोषित किया गया है।

(च) ''पर्यटन संभावना'' से अभिप्राय है व्यक्ति या व्यक्तियों का ऐसा समूह (संख्या में), जिसमें तीर्थ यात्री भी शामिल है, जो किसी पर्यटन स्थल पर घुमने के लिए जा सकते हैं।

(छ) 'पर्यटक वार्डन' से अभिप्राय है वैसे व्यक्तियों की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति जो कि सक्षम प्राधिकार द्वारा या तो भूतपूर्व सैनिक से सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा चयनित या स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवकों के बीच से चयनित, अथवा ऐसे सरकारी कर्मी जिनको इस कार्य हेतु प्राधिकृत किया जाए।

(ज) 'अधिनियम' से अभिप्राय है झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख–रखाव) अधिनियम, 2015 ।

3. **पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र की घोषणा** – इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि को या प्रभावी होने के उपरांत सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी प्रक्षेत्र, स्थल, स्मारक, स्थल जिसमें नदी तट, नदी तल, झरना, झील, जल प्रवाह या भूमि आदि शामिल है, को इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र घोषित कर सकती है।

4. **'सक्षम प्राधिकार की नियुक्ति'** –

(क) इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार अपने किसी भी राजपत्रित पदाधिकारी को या तो सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य के

# झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) विधेयक, 2015

**[सभा द्वारा यथापारित]**

— : विषय सूची : —


| | |
|---|---|
| 1. | संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं परिभाषाएँ। |
| 2. | कोई बात विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में। |
| 3. | पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र की घोषणा। |
| 4. | सक्षम प्राधिकार की नियुक्ति। |
| 5. | लोक न्युसेन्स का रोकथाम। |
| 6. | लोक न्युसेन्स को हटाने की सूचना। |
| 7. | लोक न्युसेन्स की वस्तु जब्त कर सरकार के हवाले कर दी जायेगी। |
| 8. | लोक न्युसेन्स को हटाने की लागत तथा खर्च। |
| 9. | लोक न्युसेन्स के सम्पति का निपटाव। |
| 10. | पर्यटन स्थलो को क्षरित करने पर जुर्माना। |
| 11. | पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र पर नशीले पदार्थ या शराब का सेवन पर जुर्माना। |
| 12. | अपील। |
| 13. | अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा। |
| 14. | नियमावली बनाने की शक्ति। |
| 15. | कठिनाई को दूर करने की शक्ति। |
| 16. | तालिका (जुर्माना का स्वरूप)। |

लिए या झारखण्ड राज्य के प्रत्येक जिला के लिए अलग अलग सक्षम प्राधिकार घोषित कर सकती है।

(ख) सक्षम प्राधिकार इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए सरकार के किसी भी अधिकारी को नियुक्त/नामित कर सकता है।

(ग) सक्षम प्राधिकार को इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों में से कुछ शक्तियों को सक्षम प्राधिकार उपधारा (ख) अन्तर्गत नियुक्त/नामित अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकता है।

(घ) महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों या प्रक्षेत्रों पर सक्षम प्राधिकार द्वारा पर्यटक वार्डनों की प्रतिनियुक्ति/नियुक्ति करेगी, जो पर्यटकों को किसी भी प्रकार की लोक न्युसेन्स से बचाव करेगी।

5. **लोक न्युसेन्स का रोकथाम** – इस समय लागू किसी भी कानून में किसी बात या किसी दस्तावेज या संविदा या आदेश, न्यायिक निर्णय के होते हुए भी इस अधिनियम के लागू होते ही –

(क) इस अधिनियम की धारा–3 के अन्तर्गत घोषित किसी भी पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, संगठन अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान या कोई भी पर्यटक आकर्षण स्थल या प्रक्षेत्र जिसका प्रबंधन/संचालन निजी निकायों द्वारा किया जाता हो या कोई अन्य निकाय लोक न्युसेन्स का कारण नहीं बनेगा या कोई ऐसा कार्य, प्रक्रिया, संचालन आदि जिसमें जलयान (वेसल), नाव आदि का चालन एवं परिचालन शामिल है, जिससे लोक न्युसेन्स उत्पन्न हो, नहीं करेगा तथा लोक न्युसेन्स जो पर्यटन संभावना को हानि या क्षय करे अथवा जिससे पर्यटन संभावना को हानि या क्षय होने की संभावना हो अथवा जिससे पर्यटन संभावना को हानि या क्षय हुआ हो को रोकने अथवा हटाने से नहीं चूकेगा।

(ख) सक्षम प्राधिकार या तो स्वतः संज्ञान लेकर या शिकायत प्राप्त होने पर या इस संदर्भ में, बिना किसी पूर्व सूचना दिये, लिखित आदेश द्वारा

किसी भी लोक न्युसेन्स का कारण होने से या इस प्रकार के किसी कार्य, प्रक्रिया, संचालन जैसा कि उपरोक्त उप धारा (क) में वर्णित है प्राधिकार के विचार में ऐसा लगे कि यह पर्यटन संभावना को हानि या क्षय पहुँचाया है अथवा हानि या क्षय पहुँचाने की संभावना हो तथा इस अधिनियम के वस्तुओं को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार का अंतरिम आदेश जो उपयुक्त हो, निर्गत कर सकता है।

6. **"लोक न्युसेन्स को हटाने की सूचना"** – यदि सक्षम प्राधिकार के विचार में कोई लोक न्युसेन्स का प्रभाव पर्यटन संभावना पर पड़ता है तो यह लोक न्युसेन्स से संबंधित वस्तु के मालिक, भी पर्यटक आकर्षण स्थल जिसका प्रबंधन/चालन निजी निकायों द्वारा किया जाता हो, दखलकार, ठेकेदार या कोई अन्य व्यक्ति जो वस्तुओं के उपयोग का अधिकार रखता हो अथवा इन वस्तुओं पर नियंत्रण रखता हो को नोटिस जारी कर सकता है तथा उपद्रव से संबंधित वस्तु का मालिक, दखलकार, ठेकेदार या कोई अन्य व्यक्ति जो इन वस्तुओं के उपयोग का अधिकार रखता हो, नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर लोक न्युसेन्स को हटा देगा और यदि इस 15 दिन की अवधि या इससे अधिक, जैसा सक्षम प्राधिकार द्वारा बढ़ायी गई अवधि जो 3 महीने से अधिक नहीं होगा, की अवधि में उपरोक्त कथित व्यक्ति द्वारा नहीं हटाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा इस प्रकार का लोक न्युसेन्स हटाया जा सकता है। सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के नियमों का पालन करते हुए विरोधी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देगें।

7. **लोक न्युसेन्स की वस्तु जब्त कर सरकार के हवाले कर दी जायेगी** – जिस व्यक्ति के विरूद्ध लोक न्युसेन्स हटाने का नोटिस जारी किया गया हो, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि में, लोक न्युसेन्स को नहीं हटाने की स्थिति में लोक न्युसेन्स की वस्तु को जब्त कर सरकार के हवाले कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त जब इस प्रकार की वस्तु को नीलामी की प्रक्रिया से बेचा जायेगा तो लोक न्युसेन्स को हटाने में आये खर्च से अधिक राशि प्राप्त होने पर खर्च से अधिक राशि संबंधित मालिक को भुगतान किया जाएगा। निलामी से

बेचे गये वस्तु से प्राप्त राशि का लोक न्युसेन्स को हटाने में आये खर्च से कम होने की स्थिति में अवशेष राशि संबंधित मालिक से धारा 8 के प्रावधान अनुसार वसूलनीय होगा।

8. **लोक न्युसेन्स को हटाने की लागत तथा खर्च** – इस प्रकार के लोक न्युसेन्स को हटाने या कम करने में जो भी खर्च तथा लागत होगा, इस प्रकार के लोक न्युसेन्स के कारण व्यक्ति या वस्तु जो लोक न्युसेन्स के लिए जिम्मेदार है के मालिक/दखलकार से सक्षम प्राधिकार द्वारा उसी तरीके से वसूली की जायेगी जैसे कि भू–राजस्व बकाया की वसूली की जाती है।

9. **लोक न्युसेन्स के सम्पति का निपटाव** – कोई भी परिसम्पति, वस्तु, पदार्थ जो इस अधिनियम के अन्तर्गत एक लोक न्युसेन्स है, को खत्म किया जा सकता है या जैसा सरकार द्वारा उचित समझा जाय निपटाव किया जा सकता है।

10. इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा घोषित पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र पर कोई भी निर्माण कार्य केवल विभाग/प्राधिकार जिसे सरकारी अधिसूचना द्वारा सरकार प्राधिकृत करे, की सहमति से ही किया जा सकता है। विभाग से सहमति लिये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, कम्पनी, संगठन या कोई अन्य निकाय से सक्षम प्राधिकार या इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु नामित/नियुक्त पदाधिकारी द्वारा 25000.00 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है।

11. (क) सरकार द्वारा घोषित पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र पर पूर्व से उपस्थित किसी संरचना में केवल विभाग की सहमति के उपरान्त ही बदलाव किया जा सकेगा। विभाग से सहमति लिये बिना इस प्रकार के किसी भी प्रकार का बदलाव के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, संगठन, कम्पनी या कोई अन्य निकाय से सक्षम प्राधिकार या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नामित/नियुक्त अधिकारी द्वारा 20,000.00 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।

(ख) सक्षम प्राधिकार या इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु नियुक्त/नामित अधिकारी द्वारा इस प्रकार के बदलाव के कारण हुए हानि की क्षतिपूर्ति राशि वसूली जा सकती है, जो जुर्माने के अतिरिक्त होगा।

12. (क) कोई भी व्यक्ति या निकाय पर्यटन स्थलों या प्रक्षेत्र पर उपस्थित सरकारी परिसम्पति या संरचना या सुविधा को, जान बूझकर या इरादे से, क्षति या विनष्ट नहीं कर सकता है। इसके लिए दोषी व्यक्ति से सक्षम प्राधिकार या इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु नियुक्त/नामित अधिकारी द्वारा 10,000.00 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।

(ख) सक्षम प्राधिकार या इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु नियुक्त/नामित अधिकारी द्वारा इस प्रकार के बदलाव के कारण हुए हानि की क्षतिपूर्ति राशि वसूली जा सकती है, जो जुर्माने के अतिरिक्त होगा।

13. किसी भी पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र पर नशीले पदार्थ या शराब का सेवन एक अपराध माना जायेगा। चिकित्सकीय उपयोग के अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति का किसी पर्यटन स्थल पर नशीले पदार्थ या शराब का सेवन करने या उक्त पदार्थो के सेवन करने में सहायता प्रदान करने का दोषी पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार या इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त/नामित अधिकारी द्वारा 25,000/– (पच्चीस हजार) रूपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अपराध एवं दण्ड से संबंधित विस्तृत सूचना तालिका–I के रूप में संलग्न है।

14. प्रत्येक पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र को गैर धूम्रपान क्षेत्र घोषित किया जाता है। किसी व्यक्ति को किसी भी पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र पर धुम्रपान करने का दोषी पाये जाने पर ''सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नियमावली, 2008 तथा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध तथा उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, व्यापार एवं वणिज्य) अधिनियम, 2003 के अनुसार सक्षम प्राधिकार या इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त/नामित अधिकारी द्वारा सजा दी जा सकती है।

15. (क) पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र पर कूड़ा–करकट (प्लास्टिक रेपर, प्लास्टिक प्लेट फोम–प्लेट, प्लास्टिक बैग) आदि फैलाना वर्जित किया जाता है। कुड़ा–करकट आदि का निष्पादन केवल कूड़ादान में हीं किया जा सकेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र पर कूड़ेदान के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर कूड़ा–करकट फेकने/फैलाने का दोषी पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार या इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त/नामित पदाधिकारी द्वारा 3000/–(तीन हजार) रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।

(ख) इस अधिनियम के प्रभावी होने के 1 वर्ष के अन्दर विभाग राज्य के सभी पर्यटन स्थलों पर कूड़ादान का निर्माण/प्रावधान करायेगा।

16. पर्यटकों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे, जहाँ तक संभव हो पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र को स्वच्छ रखें तथा गैर जैव निम्नकरणीय पदार्थों का उपयोग नहीं करेंगे। पर्यटक यथा संभव प्लास्टिक प्लेट, फॉम प्लेट आदि (गैर जैव–निम्नीकरणीय पदार्थों) के उपयोग के स्थान पर जैव–निम्नीकरणीय पदार्थो का उपयोग करेंगे।

17. (क) अपराध एवं दंड :– कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अंतर्गत जारी किसी आदेश या निर्देश का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकार के आदेश अनुसार कार्यरत किसी व्यक्ति के कार्य में बाधा डालता है तो उसे 25,000/–(पच्चीस हजार) रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

(ख) दण्ड का यह प्रावधान इस अधिनियम (उपरोक्त 17 क) के उस धारा पर लागू नहीं होगा जिस धारा में दण्ड का प्रावधान कर दिया गया है, अर्थात धारा– 10,11,12,13,14 एवं 15 में।

(ग) जहाँ कहीं भी कोई व्यक्ति, कंपनी, व्यवसायिक संस्थान, संगठन या कोई अन्य निकाय किसी भी पर्यटन स्थल पर सरकारी/सार्वजनिक संपति को क्षति/नुकसान पहुँचाने का जिम्मेदार होगा से सक्षम प्राधिकार या इस

अधिनियम के प्रयोजन हेतु नियुक्त/नामित अधिकारी द्वारा क्षतिपूर्ति वसूला जा सकता है, जो जुर्माने के अतिरिक्त होगा।

(घ) यदि कोई व्यक्ति सक्षम प्राधिकार या इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त/नामित अधिकारी द्वारा किये गये जुर्माने/क्षतिपूर्ति को निर्धारित समय के अंदर जमा करने में असफल होता है तो सक्षम प्राधिकार द्वारा बिहार एवं उड़िसा पब्लिक डिमाण्ड अधिनियम, 1914 के अन्तर्गत वसूली जाएगी।

(ड.) इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी अपराध संज्ञेय एवं गैर–जमानती होगा।

(च) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों पर, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या उच्च न्यायालय द्वारा विशेषतया प्राधिकृत प्रथम श्रेणी के किसी अन्य दंडाधिकारी द्वारा संक्षेपतः विचारण किया जाएगा और ऐसे विचारण पर जहाँ तक हो सके, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 से 265 (दोनों को सम्मिलित करके) के उपबन्ध लागू होंगे।

परन्तु इस धारा के अधीन, विचारण प्रारम्भ होने पर या उसके संक्षेपतः विचारण के दौरान, जब दंडाधिकारी को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि किसी कारण से उसका संक्षेपतः विचारण अवांछनीय है, तो दंडाधिकारी, पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् उस आशय का आदेश अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात किसी साक्षी को, जिसका परीक्षा किया गया है, पुनः बुलाएगा और उपर्युक्त संहिता में उपबन्धित रीति से मामले की सुनवाई या पुनः सुनवाई करने के लिए अग्रसर होगा।

(छ) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दोषी पाया जाता है तो उसे पर्यटक वार्डन/विभाग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उक्त स्थल पर ही इस अधिनियम के तालिका I में वर्णित जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

18. **अपील** –

(क) सक्षम प्राधिकार या इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त/नामित अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के विरूद्ध इस अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकार, जो सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, के समक्ष किया जा सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(ख) आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर अपील करना अनिवार्य होगा। आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के उपरान्त प्राप्त अपील के संबंध में यदि अपीलीय प्राधिकार को ऐसा प्रतीत हो कि किसी विशेष कारण से (अस्वस्थता या कोई अन्य परिस्थिति जिसमें अपील करना संभव नहीं हो सका हो) 30 दिनों के अन्दर अपील नहीं किया जा सका है तो ऐसी स्थिति में 30 दिनों के उपरांत भी अपील स्वीकार किया जा सकेगा।

(ग) किसी भी परिस्थिति में आदेश प्राप्त होने के 90 दिनों उपरांत प्राप्त अपील को स्वीकार नहीं किया जा सकेगा।

19. **इस अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा** :– इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार, सक्षम प्राधिकार या किसी अन्य अधिकारी जिसे इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु नियुक्त/नामित या प्राधिकृत किया गया हो, द्वारा सद्भाव पूर्वक किये गए किसी भी कार्य के लिए उनके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई वाद अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही स्वीकार्य नहीं होगा।

20. **सक्षम प्राधिकार के सहायता हेतु कुछ पदाधिकारियों को कार्य** :– सभी पुलिस अधिकारी, गृह रक्षक, थाना के प्रभारी अधिकारी सक्षम प्राधिकार की सहायता करेंगे।

21. **नियमावली बनाने की शक्ति** :– राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार इस अधिनियम के उद्देश्यों को लागू करने के लिए नियमावली बना सकती है।

22. **कठिनाई को दूर करने की शक्ति** :– इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में यदि कोई भी कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों के संगत कोई भी कार्य, जो कठिनाई को हटाने के लिए आवश्यक प्रतीत हो, कर सकती है : बर्शते कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से 3 वर्ष की समाप्ति के उपरांत निर्गत नहीं किया जायेगा।

.....

## तालिका - I

| क्र० | अपराध | दण्ड |
|---|---|---|
| 1. | विभाग / सक्षम प्राधिकार की सहमती के बिना पर्यटक स्थल पर किसी तरह का निर्माण कार्य करना। | ₹ 25,000/- तक की आर्थिक दण्ड। |
| 2. | विभाग / सक्षम प्राधिकार की सहमती के बिना मौजूद संरचनाओं में छेड़–छाड़ करना। | ₹ 20,000/- तक की आर्थिक दण्ड तथा छेड़–छाड की वजह से हुए नुकसान की राशि। |
| 3. | जान बुझकर पर्यटक स्थल पर सरकार द्वारा बनाये गये संरचनाओं, आस्तियों या सुविधाओं को नुकसान पहुँचाना। | ₹ 10,000/- तक की आर्थिक दण्ड तथा संरचनाओं, आस्तियों या सुविधाओं को हुए नुकसान की राशि। |
| 4. | पर्यटक स्थल पर नशीली पदार्थो का सेवन। | ₹ 5,000/- तक की आर्थिक दण्ड। |
| 5. | पर्यटक स्थल पर शराब का सेवन। | ₹ 1,000/- तक की आर्थिक दण्ड। |
| 6. | पर्यटकों को पर्यटक स्थल पर विद्वेषपूर्ण या जानबुझकर नुकसान पहुँचाना। | ₹ 25,000/- तक की आर्थिक दण्ड। |
| 7. | पर्यटक स्थल पर पर्यटकों की सुरक्षा से जान बुझकर खिलवाड़ करना। | ₹ 20,000/- तक की आर्थिक दण्ड। |
| 8. | पर्यटक स्थल पर पर्यटकों से छेड़–छाड़। | ₹ 5,000/- तक की आर्थिक दण्ड। |
| 9. | पर्यटक स्थल पर आक्रमक / अवैध पदार्थो का लाना। | ₹ 5,000/- तक की आर्थिक दण्ड। |

यह विधेयक झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) विधेयक, 2015 दिनांक 27 अगस्त, 2015 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 27 अगस्त, 2015 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

**(दिनेश उराँव)**
**अध्यक्ष ।**

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 33--50--7-9-2015 ।